

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्यप्रदेश, प्रथम तल,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/बजट कक्ष/5758
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5/12/19

वनमंडलाधिकारी,
शाजापुर सामान्य वनमंडल
मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-2406-01-800-9999-0190-53-डिक्री धन का भुगतान (भारित)
अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2019-20

संदर्भ:-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र पृष्ठांकन
क्रमांक/स्था.01/दै.वे.भो.(न्याया.)/6924 दिनांक 28.11.2019

- 0 -

संदर्भित विषयांतर्गत मांग संख्या 10-2406-01-800-9999-0190-53- डिक्री धन का
भुगतान (भारित) मद में राशि रूपये 1,85,389/- का बजट आवंटन (याचिका क्रमांक-डब्ल्यू.पी.
एस. 17698/2018 श्री राधेश्याम पिता श्री रामसिंह,श्रमिक में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2019)
किया जाता है।

कृपया नियमानुसार बजट आवंटन का उपयोग करें।

(रजेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट कक्ष/5759
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5/12/19

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) मध्यप्रदेश भोपाल।
2. ✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म0प्र0 भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया
इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त उज्जैन मध्यप्रदेश।
4. कक्ष प्रभारी बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

(रजेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र०, भोपाल
(शाखा- प्रशासन -2) सतपुड़ा भवन, भोपाल

// आदेश //

क्रमांक/स्था. 01/दै.वे.भो.(न्याय.)/ 762

भोपाल, दिनांक 28/11 /2019

मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वन वृत्त उज्जैन के पत्र क्रमांक 8313 दिनांक 18.10.2019 से अनुशंसा एवं गणना पत्रक के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका क्रमांक- डब्ल्यू.पी.एस. 17698/2018 श्री राधेश्याम पिता श्री रामसिंह, श्रमिक में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2019 पर शासकीय अधिवक्ता के अभिमत क्रमांक 11355 दिनांक 23.09.2019 के पालन में "नियंत्रण प्राधिकारी भुगतान अधिनियम 1972" एवं "म०प्र० वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 भाग-1 सेक्सन-2 अनुक्रमांक 2.18" के तहत याचिकाकर्ता को वर्ष 1980 से ही सेवा अवधि मान्य कर वेतन निर्धारण उपरांत लाभ की राशि रु. 1,85,389/- (एक लाख पिच्चयासी हजार तीन सौ नैवासी मात्र) के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय बजट मद 800- अन्य व्यय, 53- डिक्रीधन का भुगतान (भारित) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.- 11)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28/11 /2019

पृ.क्रमांक/स्था. 01/दै.वे.भो.(न्याय.)/ 6924
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) म०प्र० भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उक्त राशि वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल शाजापुर को अविलंब आवंटित करने का कष्ट करें।

2. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वन वृत्त उज्जैन।

वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल शाजापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

बजट

APCCCF
(FB)

M.P. BHOPAL

28/11/19



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.- 11)

मध्यप्रदेश, भोपाल